16-32 hrs.

DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) AMENDMENT BILL—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the motion moved by Dr. D. S. Raju on 27th November to amend the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954. Shri Bade will continue his speech.

†**श्री बड़े** (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, कल मैं कह रहा था कि इंग्लैंड में वहां के समाचारपत्रों के मालिकों ने स्वयं ही एक ऐसा कोड तैयार किया है, जिस के अनुसार वे अपने सामाचार पत्रों में इस प्रकार के बोगस और एक्स्ट्रैवेगेन्ट एड्वरटाईजमेंट्स प्रकाशित नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यदि हिन्दुस्तान में भी अखबारों के प्रोप्राइटर यह निश्चय कर लें कि वे इस प्रकार के उत्तेजनात्मक एड्वरटाइज़मेंट्स नहीं छापेंगे,तो इस से इस संबंध में ज्यादा फ़ायदा होगा ।

लेकिन इस बारे में पहला प्रश्न यह है कि जैसे सरकार के पास ऐलोपैथी के एक्सपर्टस् हैं, क्या उसी तरह से उस के पास गांवों की दवाओं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं के भी एक्सपर्टस हैं। मैं ने देखा कि बहुत से राज्यों में—जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में—ग्रामों और शहरों में डाक्टर होते ही नहीं। और वहां पर लोग गांवों की दवायें ले कर अपना काम चलाते हैं। आयुर्वेदिक में कई प्रकार की भस्मे और मात्रायें होतीं हैं। क्या सरकार के पास उनकी जानकारी रखने वाली कोई एक्सपर्ट बाडी हैं, जो कि निर्णय करे कि क्या वह दवा बोगस है या अच्छी है? उत्तेजनात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाना तो ठीक है, लेकिन वास्तव में विज्ञापन उत्तेजनात्मक हैं या विज्ञापनदाता केवल एग्ज़ेज़ेरेट कर रहे है, इस का निर्णय करने के लिये सरकार के पास आयुवदिक और यूनानी के कौन से एक्सपर्ट हैं, कौन सा बोर्ड या बाडी है ?

जहां तक विज्ञापनों का संबंध है, मैं ने देखा है कि "पुत्र-दाता गोलियों" के विज्ञापन निकलते रहते हैं, जिन में कहा जाता है कि जिन को पुत्र नहीं होता है, तीन महीने में ये गोलियां खाने के बाद उन को पुत्र की प्राप्ति होगी। सफ़ेद दाग़ के बारे में विज्ञापन निकलते हैं कि अमुक दवा खाने से शरीर के सफ़ेद दाग़ दूर हो जायेंगे। किसी "मदन मस्त मोदक" नामक दवा का विज्ञापन भी निकलता है, जिस के बारे में कहा जाता है कि उस से रिजेवेनेशन हो सकता है ।

मेरा निवेदन यह है कि जिन दवाओं के बारे में इस प्रकार के उत्तेजनात्मक विज्ञापन निकलते हैं, पहले उन दवाओं को परीक्षण होना चाहिये और यदि वे दवायें बोगस या नकली पाई जायें, तब उन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाये। इन विज्ञापनों में थोड़ा सा एग्ज़ेजेरेशन हो सकता है लेकिन यह देखना चाहिये कि "पुत्र-दात्ता गोलियों" से क्या वास्तव में पुत्र की प्राप्ति होती है। "मदन मस्त मोदक" के बारे में जो दावा किया जाता है क्या वह सही है, आदि आदि। इन मेडिसिन्ज़ का परीक्षण कर के उन के बोगस प्रमाणित होने पर ही इन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिये ।

मैं ने देखा है कि किसी एक "करामाती तावीज़" के बारे में विज्ञापन निकलते हैं, जिन में यह कहा जाता है कि जो कोई वह तावीज़ बांधेगा, वह परीक्षा में पास होगा, वह इलैक्शन जीतेगा और चाहे कोई आफ़िसर कितना भी कुर्रेबाज़ हो, उस को वश में कर देगा। मैं समझता हूं कि इस तावीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जब कि दवाओं पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ताबीज़ कोई दवाई नहीं है। कल एक कम्यूनिस्ट माननीय सदस्य ने कहा था कि जो पामिस्ट होते हैं, उन के बारे में सरकार क्या करेगी, क्योंकि उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। यदि सरकार आयुर्वेदिक दवाओं के संबंध

में उत्तेजनात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाना चाहती है, तो पहले उस को ऐसी विज्ञानशाला की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस में इन दवाओं का परीक्षण किया जा सके । और उन के ग़लत साबित होने पर ही उन पर रोक लगाना ठीक होगा ।

मेंने एक "पैस्ट किलिंग स्मीक" का विज्ञापन भी देखा है । लेकिन इन्दौर में इस प्रकार के सात केसिज़ हो गए हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है, वह उस दवा को पी जाता है और मर जाता है । क्या इस मेडिसिन का परीक्षण किया गया है कि क्या वह वास्तव में 'पैस्ट किलिंग स्मीक' है? लेकिन इन दवाओं का आज तक कोई परीक्षण नहीं किया गया है ।

शिड्यूल में बीमारियों की जो लिस्ट दी गई है, उसमें एक आइटम है : "फ़ीवर्ज़ (इन जेनेरल)" । मलेरिया और टाइफ़ायड आदि कई फ़ीवर होते हैं, लेकिन "फ़ीवर्ज़ (इन जनरल)" क्या होते हैं, यह मालूम नहीं है । फ़ीवज़ के बारे में चाहे कोई भी मेडिसिन मिलती हो, क्या उन सब पर सरकार रोक लगाना चाहती है ? एक और आइटम है : "फ़ीमेल डिज़ीज़िज़ (इन जेनेरल)" फ़ीमेल डिज़ीज़िज़ तो कई होती हैं, लेकिन फ़ीमेल डिज़ीज़ज़ (इन जेनेरल) का क्या मतलब है ?

इस शिड्यूल में पागलपन को भी शामिल किया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पागलपन की एक ऐसी दवा मिलती है कि जो जन्मजात पागल नहीं होगा, जो किसी शाक या धक्के से पागल हो गया होगा, वह उससे बराबर अच्छा हो जाता है और मैंने ऐसे बहुत से केसिज़ देखे हैं ।

जहां तक नासूर का सम्बन्ध है, सांप की केंचुली को भट्टी लगा कर उसकी एक भस्म बनाई जाती है, जिससे नासूर बिल्कुल अच्छा हो जाता है । मेंने इस बारे में बम्बई के हैफ़किन इंस्टीट्यूट और दूसरे कई डाक्टरों को लिखा कि क्या उन्होंने परीक्षण करके देखा है कि इस भस्म से नासूर का इलाज हो सकता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और उसका कोई विश्लेषण नहीं किया गया है ।

इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि शासन पर बड़ी जवाबदारी आती है । जब तक उनके पास इन दवाओं का परीक्षण करने की व्यवस्था नहीं होगी, इसके लिए डाक्टर नहीं होंगे, तब तक इन दवाओं पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा । हमारे देश की जनता गरीब है और वह साधारण गांवों की दवाओं तथा आयुर्वेदिक दवाओं पर निर्भर करती हैं । यदि सब दवाओं पर इस प्रकार रोक लगा दी गई, तो वह इन दवाओं से वंचित हो जायेगी । इस लिए आवश्यक है कि हर एक मेडिसिन का विश्लेषण कर लेने के बाद ही उस पर रोक लगाई जाये शिड्यूल में जो डिज़ीज़िज़, डिस-आर्डर या कन्डीशन की जो लिस्ट दी गई हैं, उस में सभी बीमारियां लिखी हुई हैं और जहां कोई शंका है, वहां पर "(इन जेनेरल)" लिख दिया गया है ।

"हाई और लो ब्लड प्रेशर" के लिए भी कई देशी दवायें मिलती हैं । इस शिड्यूल में दमे को भी शामिल किया गया है । लेकिन हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चित्रकूट के पहाड़ पर कार्तिक पूर्णिमा के रोज़ जो भी दमे के मरीज़ आते है, एक साधू किसी जड़ी-बूटी को दूध में डाल कर उनको पिला देते हैं उनमें से कुछ अच्छे हो जाते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते हैं । क्या उस दवाई का विश्लेषण किया गया है ?

मैं अपने साथ बहुत से एड्वरटाइज़मैंट्स लेकर आया हूं, लेकिन उनको यहां पर पढ़ना ठीक नहीं मालूम होता है । कई दवायें ऐसी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको खाने या प्रयोग करने से जवानी आ जाती है । ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं । प्रश्न

[श्री बड़े]

यह है कि क्या उन दवाओं का विश्लेषण कराया गया है। अगैर वगैर परीक्षण कराये ही दवाओं को रोक लगा दी जायेगी, तो सरकार जितने ज्यादा लाज़ बनायेगी, करप्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि विज्ञापनदाता इंस्पेक्टर साहब को पैसा दे देंगे और कहेंगे कि उनकी दवा में वही गुण हैं, जो कि विज्ञापन में बताए गए हैं। इसलिए रोक के साथ ही उन दवाओं का विश्लेषण करने के लिए विज्ञानशाला अथवा विश्लेषणशाला भी बनाई जानी चाहिए, जो कि उन दवाओं का विश्लेषण करे और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उन पर रोक लगाई जाये। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो गांवों के लोग देशी दवाओं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों से भी वंचित हो जायेंगे। एलोपेथी और डाक्टरों से तो वे पहले ही से वंचित हैं। आज गांवों में डाक्टर, लेडी डाक्टर और नर्सिज नहीं ह। जहां दवाखाने हैं, वहां डाक्टर नही हैं, जहां डाक्टर हैं वहां दवाखाने नहीं हैं और जहां डाक्टर और दवाखाने हैं, वहां दवायें नहीं हैं। इस तरफ़ भी शासन को ध्यान देना चाहिए और उसके बाद दवाओं पर रोक लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

Shri A. T. Sarma (Chatrapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to give the House an idea of why the original Bill was introduced in 1954. In the statement of objects and reasons it was stated that certain advertisements should be checked because those advertisements created havoc in the public. On the strength of those advertisements, certain people used certain medicines which produced very dangerous results. That is why this measure was enacted. But there was a great agitation not to include the Ayurvedic medicines. Even the Act does not specifically say either Alopathic or Ayurvedic or Unani medicines. So, under the general term, the Ayurvedic medicines are included here. But from the day it was put into operation, we see that it has not been working satisfactorily because it is defective in many respects.

First of all, the provisions have been made to control the advertisements and punishments have been prescribed therefore. But the controlling authority has not been mentioned in the Bill. That is the great defect and that is why we are not getting any results. Even now, if you put this Act into operation, I think, all the daily papers, all the journals, all the reviews and all the advertisements, would be booked up. There is no doubt about that. Even now we see such advertisements in dailies, in reviews, in journals, everywhere, but no check has been exercised on those things. Even this Act provides for not only a check on the advertiser but on the publisher and the printer also. I think, till now not even one published or printer has been booked under this Act. We have not provided the controlling authority in the Bill. We have only provided that certain advertisements should be checked and certain punishments would be given. That is why the Bill is useless so far as the practical side of it is concerned.

There is another point also. The hon. Minister has stated that there were certain cases and the Supreme Court has given its findings on certain points. That is why, in order to rectify those defects, this amending Bill has been brought forward. But I doubt in view of the findings of the Supreme Court, whether the defects could be rectified even by bringing forward this amending Bill. I may tell you one thing. One of the findings of the Supreme Court was that the measure had been enacted without having any controlling authority and that the man who is to seize and examine these advertisements is not qualified. That was the first point made. The cases were against the Ayurvedic and Unani dealers and there was no controlling authority. The man who could seize those documents and could find out faults with those things was not qualified to do so.

16.39 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

That was the main point because there was no controlling authority. The man who was entrusted with such things did not know the A. B. C. of the advertisements, but he was allowed to handle those cases. That is why there were certain remarks of the Supreme Court and those remarks still, I think, remain as they are. With this amending Bill, those defects cannot be rectified. In the original Act there was a provision like this—I draw your attention to Section 8:

> "Any person authorised by the State Government in this behalf may at any time seize and detain any document, article or thing which such person has reason to believe contains any advertisement which contravenes any of the provisions of this Act and the court trying such contravention may direct that such document (including all copies thereof), article or thing shall be forfeited to the Government."

Here, instead of the word 'person' the words 'gazetted officer' have been used; that much of change has been made, no doubt, but that was not the intention of the Supreme Court. The Supreme Court wants qualified persons to examine the validity or otherwise of the advertisements.

Sections 2, 3, 4 and 5 of the Act deal with the prohibition of advertisement of such drugs for treatment of certain diseases and disorders, and therein we find specific mention of drugs advertised for procurement of a miscarriage in woman or the prevention of conception in woman, the maintenance or improvement of the capacity of human beings for sexual pleasure, the correction of menstrual disorder in woman, their diagnosis, cure etc. An ordinary gazetted officer is not expected to examine these things and find out the mistakes in the advertisements.

Moreover, in section 4 we find the words:

> "directly or indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug, makes a false claim for the drug and is otherwise false or misleading in any material particular.".

How can an ordinary man distinguish whether a drug is pure or consists of certain other things or has not been prepared according to the formula which it is claimed to have, or whether the properties of the drug have been stated in an exaggerated manner in the advertisement?

So, my point is that by bringing forward this amending Bill, the purpose has not been served. So, I submit that a comprehensive Bill which will rectify all the defects found out by the Supreme Court may be brought forward.

Here, a schedule has been given in which various diseases have been included. But our aim while introducing the parent enactment was to check the exaggerated or false advertisements of drugs for certain diseases, which produced dangerous results if used on the strength of the advertisement, and not to check drugs advertised for various diseases mentioned here. In the schedule attached to this Bill, even fever has been included. It is even now in vogue that there are certain persons who give certain drugs which are very efficacious in the case of epilepsy, fits, fevers, hydrocele, cataract etc. So, think that the schedule requires a thorough modification. Only those diseases, where if a drug for which a false or exaggerated advertisement is made is used, it will produce dangerous effects, must be mentioned here.

Then, there are certain other diseases mentioned here, such as diseases and disorders of the brain, diseases and disorders of the optical system, blindness, cataract etc. I think that blindness and cataract are included

[Shri A. T. Sarma]

in the description 'diseases and disorders of the optical system', and, therefore, a special mention of them is not required. So, in my opinion, the schedule must be modified.

श्री कछवाय : इस बिल का मैं अर्ध समर्थन करता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। ये भिन्न-भिन्न प्रकार के विज्ञापन जो निकलते हैं इनका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसा वातावरण पैदा होता है, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार किया है? देखने में ऐसा मालूम होता है कि दवाओं के ऐड-वर्टाइजमेंट सच्चे होते हैं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शासन की ओर से उस विज्ञापन की तरफ ठीक प्रकार की दृष्टि न होने के कारण से उन्हें दबा दिया जाता है जैसे कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण बतला सकता हूं। आज से लगभग १२ साल पहले मैं ने एक सिनेमा देखा था, और उस सिनेमा के अन्दर एक फिल्म दिखाई गई थी कि एक व्यक्ति सांड से कुश्ती लड़ता है और सांड को गिराता है। जब उससे पूछा गया कि यह इतना बलवान क्यों बना तो बतलाया गया कि चूंकि यह शेर छाप बीड़ी पीता है इसलिये उसमें इतनी ताकत आई। मेरी समझ में नहीं आता कि फिल्मों के अन्दर ऐसी बातें बतलाना कहां तक उचित है। इसका असर लोगों पर और हमारे देश के नव-युवकों पर कितना पड़ता है। उनके मन पर सीधा असर पड़ता है कि शेर छाप बीड़ी पीने से आदमी इतना बलवान बन जाता है कि सांड को पछाड़ सकता है।

इसी तरह से डालडा के सम्बन्ध में प्रचार होता है। इसका असर भी स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है। बड़ी-बड़ी सिनेमा की रीलें दिखा कर बतलाया जाता है कि डालडा घी खाने से ही आदमी बहुत बलवान बन सकता है, उससे बहुत फुर्ती आती है और वह हर प्रकार के खेल डालडा घी खाने के बाद ही जीतता है। डालडा तो कुछ वर्षों से ही चला है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके पहले क्या हमारे भारत के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वह असली घी नहीं खाते थे। क्या उन्होंने खेल नहीं खेले होंगे, क्या दूध, घी और बादाम खा कर सांडों को नहीं पछाड़ा होगा। अखबारों में जो प्रचार होता है उसके अलावा सिनेमाओं के द्वारा भी प्रचार किया जाता है। उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये और जो गलत प्रचार होता है उसको बन्द करना चाहिये। यहां तक तो मैं इस बिल से सहमत हूं।

दूसरी बात यह है कि जो सही ऐडवर्टाईजमेंटस निकलते हैं, जैसे बिच्छू काटे हुए मरीज के सम्बन्ध में, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। बिच्छू द्वारा काटा गया मरीज तड़पता है और रोता है, बड़ा भयानक दर्द होता है लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो झाड़ फूक करते हैं और बिच्छू का दर्द बन्द हो जाता है।

श्री बड़े : रोते आओ और हंसते जाओ।

श्री कछवाय : रोते हुए आओ और हंसते हुए जाओ। मुझे बिच्छू ने काटा था। मैंने बहुत सी दवा लगवाई, लेकिन कोई अन्तर नहीं हुआ, मगर जब वह झाड़ा गया जादू मंत्र से वह अच्छा हो गया। ऐसे और भी बहुत से जानवरों के काटने के विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार ने उनके सम्बन्ध मे कोई खोज की कि वैसा हो सकता है या नहीं।

शासन की ओर से प्रचार किया जाता है कि देश की बढ़ती हुई आबादी में अन्न का संकट है, इसलिये लोगों को फैमिली प्लानिंग

करवाना चाहिये। इसका बड़ा विज्ञापन निकलता है। समाचारपत्रों में निकलता है और सिनेमाओं द्वारा भी इसके बारे में बतलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया कि इसका और क्या उपाय हो सकता है। जहां तक मुझे ज्ञान है शासन की ओर से ८० करोड़ रुपये इसके लिये खर्च होने वाले हैं। ऐसी खबर मिली है, मुझे मालूम नहीं कि इसमें कहां तक सच्चाई है, लेकिन क्या हमारी सरकार ने इस बात की कोई खोज की है कि क्या कोई ऐसी देशी दवा हो सकती है, आयुर्वेदिक दवा हो सकती है जिसका हर व्यक्ति उपयोग करके लाभ उठा सकता हो। हमारे मंत्रालय की ओर हमारी सरकार को आयुर्वेदिक के लोगों ने सलाह दी थी, इसके लिये सुझाव दिये थे, लेकिन हमारी सरकार की ओर इस मंत्रालय को आज पढ़े-लिखे लोगों की, डाक्टरों की, सलाह यह है कि इससे लाभ नहीं होगा और इसको नहीं लेना चाहिये। जहां तक मैं समझ पाया हूं इसके अन्दर सीधी बात यह है कि ८० करोड़ रु० की योजना के अन्दर यदि आयुर्वेदिक को लागू कर दिया गया तो बड़े सस्ते में काम होगा, हर व्यक्ति उसको कर सकता है, परन्तु इन ८० करोड़ रुपयो में जो रुपया प्रमुख लोगों को खाने के लिये मिलना चाहिये वह नहीं मिल पायेगा। इसी लिये आयुर्वेदिक के सम्बन्ध में अनुसन्धान नहीं किया जाता है और आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा फैमिली प्लैनिंग ही इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि एलोपैथिक पद्धति के लोगों द्वारा जो ऐड-वटाईजमेंट्स किये जाते हैं कि लोगों को फैमली प्लैनिंग करना चाहिये उनको बन्द कर देना चाहिये और आयुर्वेदिक पद्धति के सम्बन्ध में अनुसन्धान करके खोज करनी चाहिये कि उससे काम निकल सकता है या नहीं। शासन की ओर से भी जो विज्ञापन निकलते हैं उनको बन्द कर देना चाहिये।

इसके अलावा जो दूसरे आवश्यक विज्ञापन हैं, जैसे कि पुत्र दाता, यह सरकार की ओर से रजिस्टर किया हुआ है और यमुनानगर फार्मेसी का है, उसके अन्दर देखना चाहये कि वह कहां तक सही है और जो प्रचार किया जाता है वह कहां तक ठीक है। जिसके द्वारा विज्ञापन निकाला गया है उससे मिल कर और छान बीन कर के देखना चाहिये कि वह विज्ञापन कहां तक सही है।

इसी तरह से सफेद दाग के सम्बन्ध में है। सफेद दाग के सम्बन्ध में बहुत से समाचारपत्रों में आता है, लेकिन देखने में आता है कि वह कुछ हद तक सही होते हैं और कुछ हद तक गलत होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ खोज की। इसी तरह से कहा जाता है कि सफेद बाल काले हो जाते हैं, सफेद दाग शरीर के रंग से मिल जाता है। इस तरह के जो विज्ञापन निकलते हैं उनके सम्ब्रन्ध में सरकार को खोज करनी चाहिये और गम्भीरता से विचार करके निर्णय करना चाहिये कि जो विज्ञापन निकलते हैं उन से समाज में गलतफहमी फैलती है या वह वास्तव में सही चीज हैं। इस पर ठीक ढंग से विचार करके शासन को निर्णय लेना चाहिये।

साथ ही आज जो देशी दवायें हैं, जो जड़ी बूटियों से पैदा होती हैं, इस देश की मिट्टी से बनती हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार को ज्यादा से ज्यादा विचार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उनका उपयोग कर सकें। देहातों के अन्दर यह दवायें ठीक ढंग से बन नहीं पाती हैं। ऐलोपैथिक दवायें हमारे देश की गरीब जनता, देहातों की जनता के लिए बहुत महंगी पड़ती हैं। इसलिए जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवायें हैं, होमियोपैथिक दवायें हैं, उन का ज्यादा प्रसार होना चाहिए। शासन को इस ओर पूरा ध्यान देना

[श्री कछवाय]

चाहिए ।

मेरे लिए इतना ही कहना पर्याप्त है । मैं समझता हूं कि शासन को और इस मंत्रालय को विशेष रुचि के साथ इस पर ध्यान रखना चाहिए और तब वह इस बिल को पास करावे । जो सही चीज़ है उसको उसे इस बिल में रखना चाहिये । और जो ठीक नहीं है उसको निकाल कर अलग कर देना चाहिए । यदि वह ऐसा करे तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल के अन्दर विज्ञापनों का सम्बन्ध है, मैं इस से सहमत हूं कि जो अश्लील विज्ञापन हों उन के लिखने वालों और उनके बनाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उन के हाथ भी कटवा लिये जाने चाहिए जो कि समाज को गन्दा करते हैं । लेकिन जो इस में जंत्र, मंत्र और तन्त्र की बात कही गई है, इस सेकुलर स्टेट में यह अच्छा नहीं लगता कि इन चीजों के खिलाफ कोई बात कही जाय । इसलिए कि जंत्र और तन्त्र तो सही हैं, हां, ज्योतिषी लोग बगैर पढ़े लिखे, उनका प्रयोग करने लगते हैं और इसलिए बात गलत हो जाती है । लेकिन अगर गांधी टोपी वालों में से किसी ने ब्लैक मार्केटिंग कर ली हो तो इस का मतलब यह नहीं है कि गांधी टोपी को जला दिया जाय । अगर कोई ज्योतिषी गुमराह हो गया है, कोई तांत्रिक या यांत्रिक गुमराह हो गया है और उसने जनता को धोखा दिया है तो उससे वह थ्योरी गलत नहीं हो जाती । हालांकि मैं इसे नहीं मानता, मैं मानता हूं कि :

"सपर्यगा च्छ्क्रमकाय मव्रणम् "

मैं तो मानता हूं कि भगवान के नाम के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं जो सेहत दे सके । मैं जंत्र मंत्र को ज्यादा नहीं मानता, लेकिन जो मानते हैं उन के इंटरेस्ट को वाच करना हमारा काम है । हम यहां सिविल लिबर्टीज के लिए बैठे हैं और अगर उन पर कुठाराघात होता है तो हमारा यहां पर बैठना मुश्किल होगा । मैं मानता हूं कि :

"नानक सच्चे नाम तित छिक् सिद्धि धिक करामात"

मैं मानता हूं कि बगैर भगवान का नाम लिये हुए कोई और चीज सेहत नहीं दे सकती, जिन लाखों हिन्दुस्तानियों को इस पर विश्वास है और जिन के अन्दर यह एतकाद घर कर गया है कि इस जंत्र तंत्र से सेहत हासिल होती है, उन के विश्वास पर कुठाराघात करना पार्लियामेंट्री परम्परा के विरुद्ध है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है कि जंत्र तंत्र की विद्या सही है और जिस से हजारों लाखों लोग फायदा उठाते हैं, इस के खिलाफ इस तरह के लफ्ज़ लिखना अच्छा नहीं मालूम होता । यहां पर आप का कोई फ़िज़िकल एक्स्प्लेनेशन काम नहीं कर सकता । यह विश्वास की चीज है और सेहत ऐतकाद से प्राप्त होती है । बगैर ऐतकाद के वह हासिल नहीं होती । जो आंखों वाले हैं उन को भगवान के दर्शन नहीं हो सके, लेकिन जो सूरदास जन्म के अन्धे थे उन को भगवान के दर्शन हो गये । इस के लिए आप कोई फ़िज़िकल एक्स्प्लेनेशन नहीं दे सकते, लेकिन सेकुलर स्टेट में यह अच्छा नहीं लगता कि जो एक सिद्धान्त है और थ्योरी की चीज है, जिस पर लाखों, करोड़ों आदमी आज भी विश्वास करते हैं, उस के विरुद्ध कुछ लिखा जाय । यह चीज शोभाजनक नहीं है ।

हां, यह बढ़ा दिया जाए कि जो बिना पढ़ें लिखें मंत्र का उपयोग करते हैं, जो बिना विद्या हासिल किये जंत्र का उपयोग करते हैं या जो बिना विद्या पढ़ें तंत्र का उपयोग

करते हैं, उनको सजा दी जाए। लेकिन जंत्र, मंत्र और तंत्र ये थ्योरिटिकल तरीके हैं, वे ओरिजिनल तरीके हैं और फांडामेंटली इन का ज्ञान ठीक है। जो लोग पढ़े बगैर उनको करते हैं उनको सजा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कल जारी रखेंगे ?

श्री यशपाल सिंह : आप आज्ञा देंगे तो कल जारी रखूंगा।

---

17 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd*.

EVICTION OF DISPLACED PERSONS FROM PURANA QUILA

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshgabad): I find from the statement laid on the Table in the morning that the action taken was not based on the decision of the Ministry alone but a Cabinet decision. May I ask whether it is a fact that this Cabinet and this Government, which displayed its prowess so well against the squatting Chinese last year has now conducted semi-military operations with bull-dozers and tractors outside Purana Quila—my information is that the Minister promised the refugees at election time last year that they would not be disturbed, the actual words used being *be fikar raho*....

Mr. Speaker: Now he should come to the question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Were bull-dozers and tractors used against the hapless refugees squatting at Purana Quila, unarmed refugees? Is is a fact that they were forcibly evicted to places like Madangir where there is no roof over their heads; there are no amenities?

Mr. Speaker: It would not be possible to answer a statement, Mr. Kamath should realise that.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is not a statement; it is my fault perhaps. The first part of the question is whether bull-dozers and tractors were used against hapless refugees to forcibly evict them from Purana Quila area. The other part is whether they were forcibly evicted to Madangir KalkajiffiI forget the other places—where Government did not provide them with any alternative accommodation as they are bound to provide under the Bill passed in the last Parliament. All this was done at a time when in Jaipur much hypocritical verbiage was poured about providing housing, clothing and food to the poor. Was it not done at the same time?

Mr. Speaker: If so many questions are put together, it becomes difficult for the Minister to answer all of them. The two questions may be answered.

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): What is the question, Sir?

Shri Hari Vishnu Kamath: The Minister knows how to evict hapless refugees but does not know how to understand questions. He is expert in that.

Mr. Speaker: The first question is: whether Purana Quila refugees were evicted by using bull-dozers and other equipment in a violent manner. The second part is whether they have been taken to some places where there is no shelter though they were promised that alternative accommodation would be provided.

Shri Hari Vishnu Kamath: The other part was about the election promise last year.

Mr. Speaker: I cannot take so many parts together.

Shri Mehr Chand Khanna: About the first part, Sir, I have no knowledge if any bull-dozers were taken. But I can say this. According to my information, this eviction was very peaceful and there were no untoward incidents.